राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(45)/ग्राविवि–5/पीएमएवाई–जी/एम–I/बैठक/2017–18 जयपुर, दिनांक 15 जून, 2018

– :: बैठक सूचना :: –

प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला परिषद् अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.)/आवास प्रभारी अधिकारियों की बैठक दिनांक 25.06.2018 को प्रातः 10.00 बजे समिति कक्ष, उत्तर–पश्चिम भवन, प्रथम तल, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई है। बैठक के एजेण्डा निम्नानुसार है :–

1. योजनान्तर्गत वंचित पात्र परिवारों को जोड़ने की प्रगति पर चर्चा :–

वंचित पात्र परिवारों के चिन्हीकरण हेतु विभागीय पत्र दिनांक 21.03.2018 द्वारा निम्नानुसार गतिविधिवार कार्यक्रम निर्धारित कर अंतिम सूची दिनांक 05.06.2018 तक विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। उल्लेखनीय है कि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही के क्रम में ग्रामसभाओं को प्राप्त अपीलों में से ब्लॉक/जिला स्तरीय कमेटी द्वारा सत्यापित सूची के अनुसार चिन्हित पात्र परिवारों की सूचना दिनांक 20.06.2018 तक प्रेषित करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 01.06.2018 एवं 12.06.2018 द्वारा पुनः निर्देशित किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.03.2018 द्वारा जारी निर्देशो की पालना बाबत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति की बैठक माह जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे चिन्हित पात्र परिवारों की सूचियों का राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति अनुमोदन उपरान्त निर्धारित दिनांक 30.06.2018 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

बैठक में उक्तानुसार जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदन उपरान्त जिलो से प्राप्त सूची पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति की प्रस्तावित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु चर्चा प्रस्तावित है। अतः ब्लॉक/जिला स्तरीय कमेटियों द्वारा परीक्षण/सत्यापन उपरान्त पात्र परिवारों की सूचना मय प्रमाण – पत्र के साथ दिनांक 20.6.18 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करे।

2. IAY एवं CMBPL आवास योजना के Closure की जिलो से प्राप्त सूचना पर चर्चा।
3. वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के स्वीकृत आवासों में से अपूर्ण/प्रगतिरत आवासों को पूर्ण करने हेतु माहवार आवंटित लक्ष्यों के क्रम में प्रगति की समीक्षा।
4. वर्ष 2018–19 के लक्ष्यों अनुसार स्वीकृति जारी कर प्रथम किश्त हस्तान्तरण की प्रगति पर चर्चा।

अतः सम्बन्धित अधिकारी ऐजेण्डा बिन्दुओं की सूचना दिनांक 20.6.18 तक ई– मेल pdengg_rdd@yahoo.com प्रेषित कर नियत तिथि व समय पर बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रावि को प्रेषित कर अनुरोध है कि बैठक हेतु समिति कक्ष तथा सहभागियों हेतु जलपान आदि की व्यवस्था हेतु संबंधित को निर्देशित करावे।
3. परियोजना अधिकारी (एम एण्ड ई), मुख्यालय।
4. जिला कलक्टर, समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
6. अधिशाषी अभियंता (अभि.), आवास प्रभारी, जिला परिषद् समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)